



22/9/23

परावली पेश हुई। अपीलान्त अधिकता  
 उपस्थित नहीं। राजकीय अधिकता  
 उपस्थित। वकील अपीलान्त को रुक-रूक  
 कर धार-रू भावनें लगायी गयी।  
 सांघ 5:00 का समय हो चुका  
 है। वकील अपीलान्त को अंक अवसर  
 दिये जाने के उपरोक्त भी सम्मत।  
 तलवाना पेश नहीं किये गये। अतः  
 अपील अदम हाजरी। अदम कैरवी  
 में अपीलान्त अधिकता उपस्थित नहीं  
 होने के कारण खारिज की जाती है।  
 परावली नेबर से क्रम की जाकर

बाद तत्काल जिला अभिलेखगार में  
जमा कराया जावे। भादेश खुले  
-पापालप में सुनाया गया।



अधीनस्थ जिला अभिलेखगार (जयपुर)  
श्रीगंगानगर